न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी साँवर मल वर्मा, आई0ए0एस0)

अपील संख्या :–151/2020 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956)(RCMS No.2020/00151)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर ।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती अंगूरी पुत्री काशीराम पत्नी शिवसिंह जाति जाट निवासी अड्डा तहसील व जिला भरतपुर। (मृतक)
   1/1 रामजीत पुत्र श्रीमती अंगूरी पत्नी शिवसिंह जाति जाट निवासी अड्डा हाल निवासी ग्राम कचनऊ तहसील महावन जिला मथुरा उ0प्र0

.....असल रैस्पोडेन्ट

2. भगवत पुत्र सुखराम
3. अतरसिंह पुत्र चिरंजी
4. ललाराम पुत्र झम्मन
5. दीपचन्द पुत्र नथोलीराम
6. किशनसिंह पुत्र नथोलीराम
7. मंगलसिंह पुत्र मेधा
8. राजेन्द्र पुत्र तुनकाराम
9. करनसिंह पुत्र शेरसिंह

   जाति जाटव निवासी ग्राम अड्डा तहसील व जिला भरतपुर।

10. आवंटन सलाहकार समिति भरतपुर।

.....तरतीवी रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.6.2012 व मुकदमा उनवान अंगूरी बनाम सरकार प्रकरण संख्या 11/06 प्रार्थना पत्र न्यायालय उपजिला कलक्टर भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. राजकीय अधिवक्ता।
2. रामजीत रैस्पो0 स्वयं।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय

दिनांकः–5–7–2022

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उप जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 13.6.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नायब तहसीलदार भरतपुर द्वारा गत खसरा नम्बर 280 रकबा 12 बीघा 6 विस्वा से 91 एल आर एक्ट 1956 की कार्यवाही के तहत आदेश दिनांक 6.8.1989 से प्रार्थीया अंगूरी देवी को बेदखल किया गया । जिसकी अपील अति0कलक्टर भरतपुर के यहां की गई। अति0 कलक्टर भरतपुर ने निर्णय दिनांक 16.3.90 से खारिज कर दी। फिर इसकी अपील आर0ए0ए0 भरतपुर के यहां की गई। आर0ए0ए0 भरतपुर ने निर्णय दिनांक 27.7.1990 से नायब तहसीलदार एवं अति0 कलक्टर भरतपुर के निर्णयों को निरस्त कर प्रकरण उपखण्डाधिकारी भरतपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि अपीलान्ट के कब्जे को ध्यान में रखते हुये मामले को सलाहकार समिति के समक्ष रखा जावे व नियमानुसार विधिवत कार्यवाही अमल में लायी जावे। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 30.4.91 द्वारा गत खसरा नम्बर 280 रकबा 14 बीघा 12 विस्वा ग्राम अड्डा में से अपीलान्ट का कब्जा दिनांक 1.7.75 से पूर्व का मानते हुये इस नम्बर में से 8 बीघा 12 विस्वा भूमि का नियमन किया गया। 5 बीघा भूमि इन्द्रा आवास के लिये आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित की तथा 1 बीघा भूमि विधालय के लिये रखी गई। तदोपरान्त अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आवंटन के विरूद्ध जिला कलक्टर भरतपुर के यहां 14(4) एल आर एक्ट के तहत अपील पेश की। कलक्टर भरतपुर ने निर्णय दिनांक 3.7.95 द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 30.4.91 निरस्त कर दिया। जिसकी अपील आर0ए0ए0 भरतपुर के यहां की गई। आर0ए0ए0 भरतपुर ने निर्णय दिनांक 31.5.1999 द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 3.7.95 को निरस्त कर दिया। जिसकी अपील राजस्व मण्डल अजमेर में की गई। राजस्व मण्डल अजमेर ने निर्णय दिनांक 5.12.2005 से कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 3.7.1995 को निरस्त कर दिया गया। अपील आंशिक स्वीकार कर आर0ए0ए0 भरतपुर के निर्णय दिनांक 31.5.99 को निरस्त कर प्रकरण उपखण्डाधिकारी भरतपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि प्रकरण में मौका निरीक्षण जांच कर पक्षकारान की सुनवाई कर साक्ष्य व रिकार्ड के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावे। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.6.2012 पारित कर प्रार्थीया के पक्ष में दिनांक 30.4.1991 को किया गया नियमन आदेश यथावत रखा जाता है। इस आदेश के विरूद्ध तहसीलदार भरतपुर द्वारा यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। बहस सुनी गई।

अपीलान्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अनून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मसूखी है। यह कि निर्णय दिनांक 13.6.2012 न्यायालय एसडीओ भरतपुर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिजी के है। यह कि तहत अदालत ने अपने निर्णय 13.6.2012 सांविक खाता खसरा नम्बर 280 रकबा 14 बीघा 12 विस्वा वाकै ग्राम अड्डा तहसील व जिला भरतपुर से बने हाल खसरा नम्बर 302/2.09, 304/361/0.34 हैक्टेयर मे से 8 बीघा 12 विस्वा की बाबत दिनांक 30.4.1991 को किया गया नियमन आदेश को यथावत रखने में भारी भूल की है जो काबिले खारिजी के है। यह कि तहत अदालत ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया है कि उक्त आराजी में से 5 बीघा भूमि इन्द्रा आवास के लिये आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित की तथा 1 बीघा 2 विस्वा भूमि विधालय के लिये आरक्षित रखी गई है। लेकिन तहत अदालत ने इस तथ्य पर बिना गौर किये बिना राज्यहित देखे नियमन आदेश यथावत रखने में भारी भूल की है। यह कि अदालत तहत ने विवादित अराजी की मौका रिपोर्ट पर कोई गौर नहीं किया और ना ही कब्जे बाबत जांच रिपोर्ट ही तलब की गई है और कब्जे की जांच किये बिना ही नियमन आदेश बहाल रखने में भारी भूल की है जो काबिले खारिजी है। यह कि प्रकरण का निस्तारण तहत अदालत ने दिनांक 13.6.2012 को कर दिया है लेकिन आदेश पर कार्यवाही चलती रही है लेकिन अभी तक अमल नहीं हो पाया है। तथा राज्य–सरकार का हित भी उक्त आराजी में निहित है। यह वजह है कि अपीलाधीन आदेश की अपील राज्य सरकार की ओर से किया जाना अनिवार्य है। इसी कारण राज्यहित को देखते हुये प्रकरण में अपील पेश की जा रही है। लेकिन देरी को क्षमा करने के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से संलग्न किया जा रहा है। अन्त में राज्य सरकार की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश एसडीओ भरतपुर दिनांक 13.6.2012 निरस्त किया जावे।

रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत उप जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.6.2012 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नही रहती है क्योकिं अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–6–2022 माननीय राजस्व मण्डल की ओर से पारित आदेश दिनांक 5–12–2005 में दिये गये निर्देशों की पालना में सभी पक्षकारान को सुनकर साक्ष्य व रिकार्ड पेश करने का अवसर देने के बाद पारित किया है जिसमें कोई अवैधानिकता या अनियमितता नही है क्योकिं विवादित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार भरतपुर की मौका रिपोर्ट ली गयी है तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा रैस्पोडेन्ट का विवादित भूमि पर वर्ष 1975 से पूर्व का कब्जा माने जाने व अप्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई प्रतिकूल साक्ष्य पेश नही किये गये, जाने जिससे प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट का पुराना कब्जा प्रभावित नही होता हो, का उल्लेख करते हुए उनके पूर्व आदेश दिनांक

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

5–4–91 को यथावत रखा गया है जिसके द्वारा रैस्पोडेन्ट के पक्ष में नियमन किया गया था।

रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि जिन पर इन्दिरा आवास बने हुए हैं तथा आबादी हेतु भूमि आरक्षित की गयी है, को छोडकर पुराने कब्जे के आधार पर रैस्पोडेन्ट के पक्ष में नियमन किये जाने का आदेश दिया गया है जो कि उचित है। अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय का कियान्वयन भी हो गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से गलत तथ्यों पर अपील पेश किये जाने के कारण अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–6–2012 को यथावत रखा जावे।

सरकारी पैरोकार व रैस्पोडेन्ट की बहस सुनने व मनन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलाण्ट की ओर से मीमो ऑफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है, इसका कोई प्रतिवाद रैस्पोडेन्ट द्वारा दौराने अपील नही किया गया तथा न ही काउण्टर में कोई शपथ पत्र ही पेश किया गया। ऐसी स्थिति में मियाद सम्बन्धी बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आरआरडी 2002 पृष्ठ संख्या 37 व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आरबीजे(4) 1997 पेज–257 में प्रतिपादित सिद्वान्तों से सादर सहमत होते हुए अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो हम अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–6–2012 माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–12–2005 की पालना में पारित किये जाने का उल्लेख किया है। हमारे द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–12–2005 का अवलोकन किया गया जो कि अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न है। उक्त निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–5–99 को निरस्त करते हुए प्रकरण उपजिला कलक्टर, भरतपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि प्रकरण में मौका निरीक्षण व नियमानुसार आवश्यक जांच कर और नियमानुसार आवश्यक सभी पक्षकारान को सुनकर और साक्ष्य जाब्ते में रिकार्ड में लेकर नये सिरे से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अन्दर छःह माह सुनिश्चित् करें। उक्त निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया तथा तहसीलदार भरतपुर को मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया जिस पर तहसीलदार भरतपुर की ओर से मौका रिपोर्ट पत्र कमांक 500 दिनांक 2–2–09 से प्राप्त हुई। इस पत्र के साथ पूर्व में भिजवाई गई मौका पर्चा दिनांक 3–8– 08 की प्रति संलग्न की गयी जिसमें उल्लेख किया गया है कि खसरा नंबर 302 रकबा 2 बीघा 1 विस्बा व खसरा नम्बर 304/961 रकबा 0.34 का मौका देखा गया। प्रतिवादी अंगूरी गांव में नही रहती है। प्रतिवादी संख्या 8 कमल पुत्र तेजा के फोत होने तथा उक्त खसरा नंबर को तत्कालीन जिला कलक्टर द्वारा वर्ष 1988 में 5 बीघा भूमि आबादी हेतु आवंटित करने व मौके पर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिक्रमण बने होने तथा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि राजकीय मालकिन आबादी बना हुआ होने तथा शेष रकबे पर आसामियों ने हौसला विरोध बावजूद अस्थायी कब्जा कर रखे हैं। खसरा नंबर 304 861 पर पूर्व में अतिक्रमण की रिपोर्ट की हुई है। वर्तमान में पड़त है। अतिक्रमण होते ही धारा 91 की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जावेगी। उक्त मौका पर्चा आसामियों के समक्ष तैयार कर सुनाया गया व हस्ताक्षर कराये गये। उक्त मौका रिपोर्ट में यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि विवादित खसरा नंबर में रैस्पोन्डेन्ट संख्या 1 अंगूरीदेवी का कभी कब्जा रहा हो परन्तु अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय में यह उल्लेख करते हुए कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 5-12-2005 में यह माना है कि खसरा नंबर 290 रकबा 14 बिस्वा 21 बिस्वा जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 26-3-1983 में शामिल नहीं है तथा माननीय राजस्व मण्डल ने प्रार्थिया का कब्जा 1-7-75 से पूर्व का माना है। इस आधार पर पूर्व में आदेश दिनांक 30-4-91 का यथावत रखा गया है जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-12-2005 के ऑपरेटिव भाग में यह कहीं भी नहीं माना है कि विवादित खसरा नंबर चारागाह नहीं है अथवा विवादित भूमि पर प्रार्थिया का दिनांक 1-7-75 से पूर्व का कब्जा है वरन यह उल्लेख किया गया कि यदि आराजी मुतनाजा को चारागाह न माना जावे तो नियमन कार्यवाही के क्रम में निर्देशानुसार नियत समय सीमा में कब्जा काश्त होना भूमिहीन होना आदि आवश्यक शर्त है जो प्रकरण में बखूबी साबित नहीं किया गया है। प्रकरण में मौका स्थिति भी विचारणीय बिन्दु होने व मौके पर कितने आवास बने हुए हैं, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवासीय भूखण्ड आवंटित हुए हैं व निर्माण हुए हैं आदि जांच व गौर किया जाकर नियम न्यायहित में निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि यह भी संभव है कि इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि आराजी मुतनाजा चारागाह घोषित की गई है। इसे बाद में चारागाह हटाया गया हो। प्रकरण में खातेदारी घोषित करने के क्रम में कार्यवाही करवाई गई हो, पक्ष में निर्णय नहीं होने की स्थिति में नियमन की कार्यवाही करवाई गई हो। इस आधार पर प्रकरण मौका निरीक्षण व नियमानुसार आवश्यक जांच कर व आवश्यक सभी पक्षकारान को सुनकर व साक्ष्य जाब्ते में रिकार्ड को लेकर नये सिरे से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश उपजिला कलक्टर भरतपुर को दिये गये हैं परन्तु अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत हुई मौका रिपोर्ट व दस्तावेजात को नजरअंदाज कर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-12-2005 में उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस में उल्लेखित किये गये तथ्यों को माननीय राजस्व मण्डल का अभिमत मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो कि किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि विवादित भूमि की जमांबदी के अनुसार चारागाह में दर्ज हैं, के सम्बन्ध में पुनः जांच नहीं कर पूर्व में जारी आदेश दिनांक 30-4-91 के आदेश जिसके द्वारा रैस्पोडेन्ट के पक्ष में भूमि नियमित की गयी, के आदेश को यथावत रखा है जो कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–6–2012 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उपजिला कलक्टर, भरतपुर को पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–12–2006 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित प्रावधानों को देखते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 5–7–2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर